FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

बलजीत कौर आदि **बनाम** सतपाल सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 28 सन् 2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/106

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.05.2022	प्रार्थीगण बलजीत कौर पत्नी सतविन्द्र सिंह पुत्र जसवन्त सिंह जाति रामगढिया निवासी श्रीकरणपुर आदि की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ **चक 16 एस की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 33/30 के मुरब्बा नम्बर 9 की जमाबन्दी** प्रस्तुत की। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि **अप्रार्थी संख्या 1** आगामी तारीख पेशी 08.06.2022 तक तहसील श्री करणपुर के **चक 16 एस की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 33/30 के मुरब्बा नम्बर 9 की कुल 1.265 हेक्टैयर भूमि में से जंगीर कौर पत्नी जसवन्त सिह के नाम दर्ज 0.211 हेक्टैयर भूमि की राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे अर्थात इसका किसी प्रकार से बेचान, रहन एंव हस्तान्तरण नहीं करे।** प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया जावे। वकील प्रार्थीगण आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करे। आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना नही करने पर यह अन्तरिम अस्थाई स्थगन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। यदि उक्त भूमि बैंक के रहन है तो बैंक मे राशि जमा कराने या अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने व **राजस्थान कृषि साख परिचलन(कठिनाई निवारण) अधिनियम 1974 की कार्यवाही** पर उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नही होगा। पत्रावली दिनांक 08.06.[redacted].2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	
8/6/22	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान महोदय अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 20/6/22 को पेश हो। Kamal	
20/6/22	प्रार्थीगण व प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण व प्रार्थीगण अधिवक्ता को अक-2	

कर 3 बार आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है व प्रकरण मे जारी दिनांक 10/05/22 की अस्थायी निषेधाज्ञा भी निरस्त की जाती है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री कटपुतली